



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

TAXC 46/2009

अपीलार्थी: मेसर्स श्यामलाल अग्रवाल (निर्धारिती)  
(निर्धारिती)

विरुद्ध

प्रत्यर्थी आयकर अधिकारी  
(राजस्व)

विचारण हेतु आदेश



माननीय श्री आर.एन.चंद्राकार, न्यायाधीश

मैं सहमत हु।

सही/-  
धीरेन्द्र मिश्रा  
न्यायाधीश

सही/-  
आर.एन.चंद्राकार  
न्यायाधीश

आदेश हेतु सूचीबद्ध दिनांक 27/01/2010

सही/-  
धीरेन्द्र मिश्रा  
न्यायाधीश



**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर**

**आय प्रकरण क्रमांक 46/2009**

**अपीलार्थी:** मेसर्स श्यामलाल अग्रवाल (सोहागपुर) 36 सुभाष  
(निर्धारिती) नगर, कोटरा मार्ग, रायगढ़ (छ. ग)

विरुद्ध

**प्रत्यर्थी** आयकर अधिकारी, वार्ड 1, आयकर भवन, (राजस्व)  
(राजस्व) चक्रधर नगर, रायगढ़ (छ.ग)

(आयकर अधिनियम, 1961, धारा 260-अ के अंतर्गत अपील)

**उपस्थित :**

अपीलार्थी/ निर्धारिती के लिए: श्री नीलभ दुबे, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ राजस्व के लिए: श्री राजीव श्रीवास्तवा, स्थायी अधिवक्ता

**युगल पीठ: माननीय श्री धीरेन्द्र मिश्रा न्यायाधीश**

**एवं माननीय श्री आर.एन.चंद्राकार, न्यायाधीश**

**आदेश**

**(पारित दिनांक 27/01/2010)**

न्यायालय का यह आदेश **जस्टिस धीरेन्द्र मिश्रा** ने पारित किया।



1. अपीलकर्ता/निर्धारिती ने आयकर अधिनियम, 1961 (संक्षेप में - "अधिनियम") की धारा 260अ के तहत आयकर अपीलीय अधिकरण, बिलासपुर पीठ, बिलासपुर (संक्षेप में "अधिकरण") के अनुलग्नक अ/3 के आदेश के विरुद्ध निम्नलिखित विधि के सारभूत प्रश्नों पर यह अपील प्रस्तुत किया गया है:

1. 'क्या प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में अधिकरण का यह निष्कर्ष कि दिखाया गया सकल लाभ दर कम था, तथ्यों के विपरीत और गलत है?

2. क्या खाता बही पेश न कर पाने की वजह से सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन हो सकता है, जबकि खाता रिपोर्ट अभिलेख में हो?

3. क्या अनुबंध को पूरा करने में देरी के लिए की गई वसूलियां, अनुबंध के सकल लाभ का हिस्सा हैं?

2. संक्षेप में, प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि निर्धारिती ने मूल्यांकन वर्ष 2004-05 के लिए 31 मार्च, 2005 को आयकर रिटर्न फाइल किया, जिसमें परीक्षण विवरण के साथ कुल आय 1,47,347 रुपये बताई गई थी। मूल्यांकन प्रकरण की सुनवाई 2 अगस्त 2005 को निर्धारित की गई थी। यद्यपि, निर्धारिती खाता बही पेश नहीं कर पाया क्योंकि खाता बही वाला बैग 1 अगस्त, 2005 को ट्रेन में सफर के दौरान चोरी हो गया था। मूल्यांकन अधिकारी ने पाया कि खाता बही और दावा किए गए खर्चों के वाउचर न होने के कारण,



कमाई गई आय और दावा किए गए खर्चों की सटीकता को सत्यापित करना संभव नहीं होगा। अतः, प्रकरण को अतिरिक्त सी.आई.टी के पास भेजा गया ताकि वह आई.टी.ओ को मूल्यांकन पूरा करने के लिए ज़रूरी निर्देश दे सकें। अतिरिक्त सी.आई.टी ने अधिनियम के धारा 144 अ के तहत निर्देश जारी किए और उसी के अनुसार, ए.ओ ने प्रकरण के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, टर्नओवर को 5,46,76,4347/- मानकर खाता को निरस्त कर दिया और पिछले साल के सकल लाभ के आधार पर टर्नओवर पर 12.65% का सकल लाभ लगाया और सकल लाभ में 11,19,098/- जोड़ दिए। धारा 43 ब के तहत मूल्यह्रास और वृत्ति कर 1,47,347/- घटाने के बाद, कुल करदायी आय 12.66,440/- आंकी गई। धारा 243अ, 243ब, 243 स के तहत ब्याज भी लगाया गया और धारा 271(1)(ब)/271(1)(स) के तहत दंड की कार्यवाही अलग से शुरू की गई।

3. सी. आई.टी (अपील्स) ने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और निर्धारिती के स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए यह अवलोकन किया कि इस प्रकरण में सकल लाभ का अनुमान 5,46,76,435/- की सकल प्राप्तियां पर 11% लगाया जा सकता है और उसी के अनुसार, 2,16,934/- का अतिरिक्त किया गया और कुल 9,02,161/- की राहत दी गई।

4. रेवेन्यू ने सी आई टी (अ) के आदेश के विरुद्ध अधिकरण में अपील किया और अधिकरण ने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और संबंधित मूल्यांकन वर्ष के लिए सकल लाभ का अनुमान सी आई टी (अ) द्वारा अनुमानित 11% के बजाय 12% लगाया।



5. अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया है कि अधिनियम की धारा 145(3) के तहत खाता को तभी निरस्त किया जा सकता है जब खाता सही या पूरे न हों या लेखांकन का तरीका या लेखांकन मानकों का पालन नहीं किया गया हो। वर्तमान प्रकरण में, लेखांकन को इस आधार पर निरस्त किया गया है कि बही खाता पेश नहीं की जा सकीं, जो धारा 145(3) के तहत स्वीकार्य नहीं है। निर्धारिती ने धारा 44Aब के तहत ज़रूरी फॉर्म 3स ब में परीक्षण विवरण प्रस्तुत की थी। इसमें कोई गलत बात नहीं लिखी थी और यह प्रमाणित था कि बैलेंस शीट और लाभ और हानि खाता लेखांकन की किताबों से मेल खाते हैं और कोई गड़बड़ी या कमी नहीं है। परीक्षण विवरण के साथ प्रस्तुत किए गए फॉर्म नंबर 3 सी डी में बताया गया था कि लेखांकन की किताबें रखरखाव की गई थीं और उनकी अन्वेषण की गई थी और लेखांकन के तरीके में कोई बदलाव नहीं हुआ था। इसमें स्वीकार्य और अस्वीकार्य कटौती/खर्चों और किए गए काम की विवरण भी दी गई थीं। यहां तक कि धारा 144 के तहत सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन के उद्देश्य से भी, यह सुसंगत सामग्री के आधार पर होना चाहिए। यद्यपि, मूल्यांकन करते समय, निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत की गई परीक्षण अभिलेख पर विचार नहीं किया गया, जो एक सुसंगत सामग्री था।

6. इस प्रकरण में अतिरिक्त आयकर आयुक्त, दिल्ली -II विरुद्ध जय इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड के निर्णय पर अवलंब किया गया है, जो (1978) 113 आई टी आर 389 में प्रकाशित हुआ था।

7. दूसरी ओर, उत्तरवादी/राजस्व के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राजीव श्रीवास्तव ने तर्क प्रस्तुत किया कि निर्धारिती ने संबंधित वर्ष के लिए अपना रिटर्न फाइल किया था, रिटर्न को धारा 143(1) के तहत जांच किया गया और प्रकरण को संविक्षा के लिए चुना गया। धारा



143(2) के तहत 2 अगस्त, 2005 के लिए नोटिस जारी किया गया था, जिसे निर्धारिती को विधिवत तामिल कर दिया गया था, यद्यपि, निर्धारिती 2 अगस्त, 2005 को पेश नहीं हुआ। निर्धारिती ने 8 नवंबर, 2006 को मिले अपने जवाब में बताया कि लेखांकन की किताबें और वाउचर वाला बैग 1 अगस्त, 2005 को चाँपा रेलवे स्टेशन के पास चोरी हो गया था। इन परिस्थितियों में, अतिरिक्त सी आई टी के निर्देशों के अनुसार, धारा 144 अ के तहत ए ओ ने, लेखांकन की किताबों और वाउचर की अनुपस्थिति में, यह माना कि निर्धारिती द्वारा कमाया गया लाभ पता नहीं लगाया जा सकता और टर्नओवर को 5,46,76,435/- मानकर 12.65% पर अनुमानित लाभ तय किया। उन्होंने आगे यह तर्क प्रस्तुत किया कि अधिकरण ने सी टी टी (अ) द्वारा 11% पर लगाए गए सकल लाभ के अनुमान को वैध कारणों से सही तरह से निरस्त कर दिया है और अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तावित विधि के सारभूत प्रश्न इस अपील के न्यायनिर्णय के लिए शामिल नहीं हैं।

8. हमने पक्षकारों के अधिवक्ता की तर्क सुनी और अभिलेख पर उपलब्ध सभी सामग्री को देखा।

#### 9. ए ओ का अवलोकन;

- (i) कि, निर्धारिती ने 31 मार्च, 2005 को अपना रिटर्न फाइल किया था। धारा 143(1) के तहत रिटर्न की प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद, प्रकरण जांच के लिए चुना गया और 5 जुलाई, 2005 को धारा 143(2) के तहत 2 अगस्त, 2005 के लिए नोटिस जारी किया गया। यद्यपि, उस तारीख को निर्धारिती की ओर से कोई पेश नहीं हुआ। दंड की कार्यवाही अलग से शुरू करने के बाद, अधिकारी बदलने के कारण 22



मई, 2006 को धारा 143(2) के तहत एक और नोटिस जारी किया गया और तामिल किया गया। धारा 142(I)(i)(ii) के तहत नोटिस फिर से 3 नवंबर, 2006 को तामिल किया गया।

- (ii) निर्धारिती ने 8 नवंबर, 2006 को मिले अपने जवाब में बताया कि लेखांकन की किताबों और वाउचर वाला बैग 1 अगस्त, 2005 को चम्पा रेलवे स्टेशन के पास चोरी हो गया था।
- (iii) इन परिस्थितियों में, ए ओ ने देखा कि लेखांकन की किताबें और दावा किए गए खर्चों के वाउचर न होने पर, कमाई गई आय और दावा किए गए खर्चों की सटीकता को सत्यापित करना मुमकिन नहीं होगा, और धारा 144 के तहत अतिरिक्त सी आई टी से ज़रूरी निर्देश मांगे। अतिरिक्त सी आई टी के निर्देशों के अनुसार, लेखांकन को निरस्त करने के बाद 5,46,76,435/- रुपये के टर्नओवर पर 12.65% सकल लाभ लगाकर मूल्यांकन किया गया। ए ओ ने आगे देखा कि मूल्यांकन करने वाले का 2002-03 और 2003-04 में सकल लाभ क्रमशः 15.17% और 12.65% था।

#### 10. सी टी टी (अ) का अवलोकन;

सी टी टी (अ) ने यह भी अवलोकन किया कि लेखांकन की किताबें, बिल और वाउचर वगैरह न होने पर, शीर्षवार डिसअलाउंस को क्वांटिफ़ाई करने के लिए कोई अवलोकन करना मुश्किल है। यह देखा गया है कि इस प्रकरण में पिछले साल 2003-04 की तुलना में सकल लाभ दर में 2% की गिरावट आई है, हालांकि शुद्ध लाभ 0.19% से बढ़कर 0.26% हो गया है। सकल लाभ में गिरावट के लिए निर्धारिती द्वारा बताए गए



कारणों को लेखांकन की किताबों और अन्य दस्तावेजों के आधार पर जांच नहीं किया जा सका क्योंकि ये पहले ही चोरी के कारण खो गए थे। हालांकि, अलग-अलग अनुबंधकर्ता द्वारा काम के अनुबंध को पूरा करने में देरी और काम की खराब क्वालिटी के कारण की गई वसूली के संबंध में कटौती की अनुमति के लिए अपीलकर्ता का दावा स्वीकार कर लिया गया और उपरोक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए, सकल लाभ का अनुमान 5,46,76,435/- रुपये की सकल प्राप्तियां पर 11% लगाया गया है।

### 11. अधिकरण का अवलोकन:

अधिकरण ने देखा है कि सी आई टी (ए) ने संबंधित मूल्यांकन वर्ष के लिए सकल लाभ 11% पर अनुमानित करने के लिए कोई भी सबूत अभिलेख पर नहीं रखा है, खासकर तब जब निर्धारिती ने खुद मूल्यांकन वर्ष 2005-06 के लिए भी सकल लाभ 12.65% दिखाया है। सी आई टी (ए) का यह कहना कि सकल लाभ दर में 2% की गिरावट आई है, जबकि शुद्ध लाभ 2003-04 के लिए 0.19% से बढ़कर 0.26% हो गया है, निर्धारिती की तर्कों के विपरीत है, जिसमें यह दावा किया गया है कि निर्धारिती को उस वर्ष के दौरान 35,26,278/- रुपये की वसूली का सामना करना पड़ा था, जो पिछले वर्ष नहीं था, और इसलिए, सकल लाभ 12% पर अनुमानित किया गया है।

12. जय इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड (पूर्वोक्त) प्रकरण में, लेखांकन वर्ष 1961-62 और 1962-63 की ज़रूरी लिखांकन किताब नवंबर 1962 में आग में जलकर नष्ट हो गई। निर्धारिती ने लाभ और हानि खाता और बैलेंस शीट के स्टेटमेंट के साथ मूल्यांकन क्रमशः वर्ष 1962-63 और 1963-64 के लिए लाभ तय करने में कुछ कटौतियों का दावा



किया था। आयकर अधिकारी ने इन कटौतियों को नामंजूर कर दिया था। यद्यपि, अपीलीय अतिरिक्त आयुक्त और अधिकरण ने इन्हें मंजूर कर दिया था। विधिक प्रश्नों को उच्च न्यायालय में रेफर करने की आवेदन भी निरस्त कर दी गई थी।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने राजस्व की संदर्भ आवेदन को निरस्त करते हुए कहा कि अधिनियम की धारा 143(3) के तहत, आयकर अधिकारी न केवल ऐसे सबूत सुनता है जो निर्धारिती पेश कर सकता है या जिसे वह पेश करने के लिए कह सकता है, बल्कि मूल्यांकन करने के उद्देश्य से "उसने जो भी ज़रूरी सामग्री इकट्ठा किया है" उसे भी ध्यान में रखता है।

उस प्रकरण में, निर्धारिती-कंपनियों के बाहरी लेखापरीक्षकों ने कंपनी अधिनियम, 1956 के धारा 227(2) के तहत कंपनी के सदस्यों को उनके द्वारा जांचे गए लेखांकन और इन दो सालों के बैलेंस शीट और लाभ और हानि खाता पर अपनी वार्षिक प्रतिवेदन दी थी। इन प्रतिवेदनों में निर्धारिती द्वारा दावा किए गए खर्चों की सही होने पर कोई शक नहीं किया गया था। धारा 227(3)(ब) और (स) के तहत, लेखा परीक्षक की प्रतिवेदन में यह बताना होता है कि क्या उनकी राय में कंपनी ने विधि के अनुसार सही लेखांकन की किताबें रखी हैं और क्या कंपनी की बैलेंस शीट और लाभ और हानि खाता लेखांकन की किताबों और रिटर्न से मेल खाते हैं। इन परिस्थितियों में, यह माना गया कि आयकर अधिकारियों न केवल परीक्षण की प्रतिवेदन को स्वीकार करने के लिए, बल्कि उससे सही नतीजा निकालने के लिए भी सक्षम थीं।

13. याधपि, वर्तमान प्रकरण में, अधिकरण ने अभिलेख पर मौजूद सामग्री पर विचार करने के बाद, मूल्यांकन वर्ष 2003-04 में 35,26,278/- रुपये की वसूली के बारे में निर्धारिती के दावे और सी आई टी (ए) द्वारा उसे स्वीकार करने में असंगतता बताई है।



14. ए ओ की निष्कर्ष और सी आई टी (ए)के निर्णय में संशोधित करने के लिए अधिकरण द्वारा बताए गए कारणों पर उचित विचार करने के बाद, हमारी राय है कि कर निर्धारित वर्ष 2003-04 के लिए कुल कारोबार को अपनाने के बाद 12% की दर से सकल लाभ का अनुमान लगाने के लिए अधिकरण द्वारा अपनाया गया प्रक्रिया उचित एवं न्यायसंगत थी और यह अपीलकर्ता द्वारा बताए गए विधि के किसी भी सारभूत प्रश्न जन्म नहीं देता है।

15. परिणामस्वरूप, अपील में कोई दम नहीं है और इसे निरस्त किए जाने योग्य है, और अतः इसे खारिज किया जाता है।



सही/-

धीरेन्द्र मिश्रा

न्यायाधीश

सही/-

आर.एन.चंद्राकार

न्यायाधीश

**अस्वीकरण:** हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित मन जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By .....Sonia Kuldeep